

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 837 / 12

संस्थित दिनांक -11 / 10 / 12

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना परसवाड़ा
जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

अनिल कटरे वल्द चुन्नीलाल कटरे
उम्र 40 वर्ष नि-डोगरिया, लच्छीटोला
थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 25 / 01 / 2017 को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 325 भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 07 / 08 / 12 को शाम करीब 07:00 बजे ग्राम डोगरिया थाना परसवाड़ा अंतर्गत आहत दिनेश को लकड़ी से मारकर बाएँ कंधे में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को आहत दिनेश द्वारा थाना परसवाड़ा में सूचना दी गयी कि शाम 07:00 बजे वह घर वापिस आ रहा था तो आरोपी ने उसे लकड़ी से मारा जिससे वह गिर गया। गांव के अन्य व्यक्तियों ने बीच बचाव किया था। परिवादी का मुलाहिजा करवाया गया। घटना का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी से लकड़ी जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया, बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है कि आपसी रंजिश वश उसे झूठा फसाया गया है, कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी ने दि.07/08/12 को शाम करीब 07:00 बजे ग्राम डोगरिया थाना परसवाड़ा अंतर्गत आहत दिनेश को लकड़ी से मारकर बायें कंधे में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

5. घटना के आहत दिनेश (अ.सा.1) ने घटना का विवरण दिया है कि घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व शाम 06:00 बजे की है। घटना दिनांक को जब वह सरपंच के घर से वापस अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह पूरनलाल के घर के सामने पहुंचा तो आरोपी अनिल कटरे ने पीछे से आकर उसके बायें कंधे पर लकड़ी से मार दिया जिससे वह गिर गया। उसके बाद वहां पर गांव के पूरनलाल, सुखमन, श्यामसिंह दौड़कर उसके पास आये फिर उन लोगों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। उसने घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की थी। पुलिस ने उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में करवाया था। जहां से रिफर किये जाने पर उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी01 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासकीय अस्पताल बालाघाट में उसका एक्सरा हुआ था जिसमें बायें कंधे पर फेक्चर आया था।

6. घटना का समर्थन करते हुए सुखमन(अ.सा.2) का कथन है कि घटना दिनांक को वह ज्ञानसिंह, श्यामलाल, शंकर तथा पूरनलाल के साथ गली में बैठा था उसी समय दिनेश सरपंच के घर से निकलकर अपने घर तरफ आ रहा था। जैसे ही दिनेश अनिल के घर के सामने पहुंचा तो अनिल अपने घर से निकला और बायें कंधे पर मार दिया जिससे दिनेश गिर गया था। मारने के बाद आरोपी अनिल अपने घर चला गया। उन लोगों ने दिनेश को उठाकर उसके घर पहुंचाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7. घटना की पुष्टि श्यामसिंह (अ.सा.3) ने भी की है जिसके अनुसार घटना दिनांक को प्रार्थी दिनेश सरपंच के घर से अपने घर जा रहा था। उसी समय दिनेश अनिल के घर के सामने पहुंचा तो अनिल अपने घर से लकड़ी लेकर आया और दिनेश को पीछे आकर दो लकड़ी मार दिया जिससे दिनेश गिर गया और उसके कंधे पर चोट आयी फिर उन लोगों ने दिनेश को पानी पिलाया था।

8. डां. सुनील सिंह (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 08.08.2012

को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में आरक्षक द्वारा आहत दिनेश ठाकरे को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण पश्चात् उसने आहत के बायें हाथ के कंधे पर डेढ़ इंच गुणा एक इंच की चोट व सूजन पाया था। उसने आहत को एक्सरे हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट जाने की सलाह दी थी। साक्षी के अनुसार चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 10 से 12 घण्टे के भीतर की होना प्रतीत थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. डां.डी.के.राउत (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 08.08.2012 को एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा आहत दिनेश ठाकरे के बायें कंधे पर एक्सरे किया गया था जिसकी एक्सरे प्लेट क्रमांक 3152 आर्टीकल ए1 है जिसे डाक्टर सिंह ने रिफर किया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उन्होंने बाएँ तरफ क्लेविकल हड्डी के बाहरी भाग में अस्थिभंग पाया परंतु केलस नहीं था। उनकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी03 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10. थानुलाल सोनेकर (अ.सा.6) का कथन है कि वह दिनांक 07.08.12 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी दिनेश द्वारा मौखिक रिपोर्ट करने पर उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 151 दिनांक 07.08.2012 को समय 20:50 बजे लेख किया था। उक्त दिनांक को डाक्टर के ना मिलने पर दिनांक 08.08.2012 को आहत दिनेश का शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में मुलाहिजा करवाया गया। डाक्टर द्वारा एक्सरे की सलाह दिये जाने पर प्रार्थी को जिला अस्पताल बालाघाट भेजा गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर होने से आरोपी के विरुद्ध दिनांक 26.09.2012 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी04 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. रामलाल नेताम (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 26.09.2012 को थाना परसवाड़ा में पदस्थापना के दौरान अपराध क्रमांक 77/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनेश ठाकरे की निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी01 तैयार किया गया था। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही दिनेश, श्यामलाल, सुखमन, ज्ञानसिंह, पूरनलाल, गीताबाई और शंकरलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 01.10.2012 को आरोपी अनिल से गवाह तीजूलाल, लखन के समक्ष बांस की लकड़ी प्र. पी05 के अनुसार जप्त की थी। उक्त दिनांक को ही आरोपी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी06 तैयार किया गया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 151 दिनांक 07.08.2012 की प्रति प्र.पी.08 संलग्न है जिसमें

एम.एल.सी. रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

12. उक्त विवेचक साक्षी की साक्ष्य से उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना में की गयी कार्यवाही की पुष्टि होती है। यद्यपि जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है। परंतु उक्त विवेचक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसकी कार्यवाही पर संदेह किया जा सके।

13. अभियुक्त अनिल को परिवादी दिनेश द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया है ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त ने उक्त चोटें परिवादी को स्वेच्छया कारित की है यह भी घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

14. बचाव पक्ष का एक मात्र तर्क यह है कि पूर्व रंजिश अर्थात् महिला स्व सहायता समूह के विवाद में अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। परंतु कथन कर देने मात्र से उक्त संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती तथा कुछ अवसर प्रदान किये जाने पर भी बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। पूर्व रंजिश वैसे भी दो धारी तलवार की तरह है जिसका उपयोग यदि अभियुक्त को फसाने के लिए किया जा सकता है तो अभियुक्त द्वारा भी उसका फायदा उठाकर घटना कारित की जा सकती है। अतः उक्त तर्क का लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है।

15. उपरोक्त समस्त साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त अनिल द्वारा परिवादी दिनेश को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गयी अतः अभियुक्त अनिल को धारा 325 भा.दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

16. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित एवं खुले
न्यायालय में घोषित

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बैहर बालाघाट म0प्र0

17. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि वह प्रथम अपराधी हैं। वह प्रकरण में पेशियों में उपस्थित होता रहा है। उसकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। अतः उसके विरुद्ध नर्म रूख किया जावे। तर्कों

पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है लेकिन उसने जिस तरह का गंभीर अपराध किया है उसे देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरुद्ध नर्मरुख लिया जाना उचित नहीं होगा। प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा।

18. अतः अभियुक्त अनिल कटरे पिता चुन्नीलाल को धारा 325 भा0द0सं0 में दोषी पाकर उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 /—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

19. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं0प्र0सं0 के तहत परिवादी दिनेश को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

20. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं रहा हैं। इस के बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।

21. मामले में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावे अथवा अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

23. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं0प्र0सं0 के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)